अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 77/2023

05
03.10.2023

राज्य

बनाम

अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉके जिला– रॉंची .... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 924/डी०सी०बी० दिनांक 02.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगडी, थाना – कॉके जिला– रॉंची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बद्र/निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. कांके थाना काण्ड संख्या 175/18 दिनांक 28.12.2018 धारा 147/149/341/323/379/427 भा०द०वि०
2. कांके थाना काण्ड संख्या 128/19 दिनांक 30.07.2019 धारा 143/323/337/427/379/452/307/504 भा०द०वि०
3. कांके थाना काण्ड संख्या 189/ 19 दिनांक 01.11.2019 धारा 341/323/379/504/506/34 भा०द०वि०
4. कांके थाना कांड संख्या 136/21 दिनांक 14.06.2021 धारा 341/323/326/307/379/34 भा0द०वि0
5. कांके थाना कांड सख्या 179/21 दिनांक 08.08.2021 धारा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

143 / 147 / 149 / 452 / 386 / 427 / 506 भा0द0वि0

6. कांके थाना काण्ड संख्या 93 / 23 दिनांक 15.04.2023 धारा 399 / 402 भा०द०वि० एवं 25 (1–बी०) ए० / 26 / 35 भास्त्र अधिनियम
7. कांके थाना सन्हा संख्या 24 / 23 दिनांक 22.06.2023
8. कांके थाना सन्हा संख्या 25 / 23 दिनांक 23.06.2023
9. कांके थाना सन्हा संख्या 31 / 23 दिनांक 04.07.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, मु० प्रथम, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक 1288 / 23 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉके जिला– राँची एक कुख्यात अपराधकर्मी एवं जमीन माफिया है। ये वर्त्तमान में जमानत पर मुक्त है। इनका मुख्य पेशा रंगदारी एवं जमीन को कब्जा कर विवाद उत्पन्न करना है। ये रंगदारी और मारपीट कर माहौल को अस्थिर करने में हमेशा अमादा रहते है जो समाज के लिए खतरनाक है। ये गवाहों को अपने विरूद्ध गवाही देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं। इनका वास्तविक अपराधिक इतिहास इनके अभिलेखित अपराधिक इतिहास से कहीं ज्यादा बड़ा एवं व्यापक है। इनकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में आतंक एवं दहशत का महौल है। इन्हें अपराधिक घटनाओं में शामिल देखने के बावजूद भी संबंधित कांडों के पीड़ित गवाह एवं अन्य लोग विषयांकित अपराधी को नामजद करते हुए प्राथमिकी अंकित कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं होते है, फलस्वरूप कई अपराधिक घटनाओं में इनके शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित कांडों में इनका अभियुक्तिकरण नहीं हो पाया है। इनके विरूद्ध वर्त्तमान में भी हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने का प्रयास करने से संबंधित काण्ड दर्ज कराया गया है। इसकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे जिला बदर/निर्वासन संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत् विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार –पुलिस के द्वारा विपक्षी के उपर लगाये गये सारे आरोप सरासर गलत तथा बेबुनियाद है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज उपरोक्त वादों मे से कॉके थाना कांड सं० 168/2012 मे विपक्षी को विद्वान ए०जे०सी० पंचम, राँची के द्वारा बरी कर दिया गया है। शेष वाद वर्त्तमान मे लंबित है। विपक्षी को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी करार नही किया गया है। विपक्षी कृषि कार्य करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करते है। विपक्षी बंधपत्र दायर कर इस न्यायालय के निदेशानुसार सभी शर्त्तों का पालन करने के लिए तैयार है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉके जिला– राँची को इस जिले से निर्वासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(a)(b)(i)(ii) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉके

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

जिला–राँची को दिनांक 12.10.2023 से अगले छः माह अर्थात दिनांक 11.04.2024 तक की अवधि के लिए इस जिले से निर्वासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (1) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे कांके थाना प्रभारी के समक्ष रू0 25,000/– का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 11.10.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 12.10.2023 से अगले छः माह तक अर्थात दिनांक 11.04.2024 तक रॉंची जिला मे प्रवेश नही करेगे। उक्त आदेश का पालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झाखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉंके जिला– राँची, झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति अमृत टोप्पो पिता स्व० निकोलस टोप्पो, निवासी नगड़ी, थाना – कॉंके जिला– राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी

रॉंची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

रॉंची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:48:06 -08:00
Location: 192.168.1.4